राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, बीकानेर।

क्रमांक :– प.17(3955) आक्षेवि/रेगु/2017–18/97 – 99 दिनांक : 24 फरवरी, 2018

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8890234807	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9116158111	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर 9799776677

विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 27.02.2018 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 24.3.2018 सायं 6.00 बजे तक तीन में से एक समूह पानी चलाये जाने के लिए समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम।

प्रसंग : मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक : एफ.4/रेगु/14–बी/केम्प/जयपुर/1 दिनांक 24.2.18

महोदय,

1. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत चक्रीय कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत इंगानप की नहरों को दिनांक 27.02.2018 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 24.3.2018 सायं 6.00 बजे तक तीन में से एक समूह तक सिंचाई हेतु चलाये जाने के प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता, इंगानप बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता इंगानप, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर इंगानप की नहरों में **रबी फसल 2017–18 हेतु सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का एतद् द्वारा अनुमोदन जाता है।**
2. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता का विवरण एवं समूह विवरण वर्तमान में प्रभावी चक्रीय कार्यक्रम (इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 1576–79 दिनांक 19.12.2 अनुसार तीन में से एक समूह) के अनुरूप ही होंगे। तथा समूहों की वरियता एवं चक्रीय कार्यक्रम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जावेगा।
3. इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटरों पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।
4. इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर संभाग में बुर्जी 1254 मुख्य नहर के नीचे खरीफ 2017 में पूर्व में चल रही प्रभावी गोल बारी प्रणाली, द्वितीय चरण के रेगुलेशन हेतु जल परामर्शदात्री बैठक दि. 3.5 ... अनुशंसा के आधार पर प्रभावी रहेगी। **इस हेतु सिंचाई जल के बेहतर उपयोग किये जाने के क्रम ... का आंतरिक रोटेशन जिला कलेक्टर से परामर्श कर परिवर्तित करने का अधिकार अतिरिक्त मु... अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर का होगा।**
5. जारी चक्रीय कार्यक्रम में संबंधित नहर के समक्ष अंकित अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जि. कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए, प्रत्येक समय अपने मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि काश्तकारों को नहर में पानी वितरण के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। अधिशाषी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक प.9( )संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
6. संबंधित मुख्य अभियन्ता, जल वितरण से संबंधित अधिकारी, जल उपयोक्ता संगम, कृषि विभाग के अधिकारी एवं जन संपर्क अधिकारी इस चक्रीय कार्यक्रम का जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के साथ–साथ कम पानी खपत वाली फसलें उगाने के लिए काश्तकारों को जानकारी
7. सिंचाई जल वितरण हेतु धरना, प्रदर्शन की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होने पर संबंधित अ... अभियन्ता द्वारा जिला कलेक्टर को दूरभाष पर अवगत करवाते हुए मौके पर पहुंच कर क्षेत्रीय राज अधिकारियों (यथा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि) एवं पुलिस अधिकारियों (यथा वृताधिकारी थानाधिकारी पुलिस) के साथ काश्तकारों से सीधा संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
8. आगामी चक्रीय कार्यक्रम समय पर जारी करने के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

संभागीय आयुक्त
एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

क्रमांक : प.17(3955) आक्षेवि / रेगु / 2017–18 / 100 – 159 दिनांक 24 फरवरी,2018

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेषाधिकारी(एस)मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज. जयपुर
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर / जोधपुर.
6. जिला कलक्टर, बीकानेर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर / हनुमानगढ़ / चुरू / जोधपुर / नागौर / बाड़मेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर / हनुमानगढ़ / चुरू / जोधपुर / नागौर / बाड़मेर
8. मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
9. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना–II, जन स्वा. अभि. विभाग, चूरू
10. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चूरू।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
14. उपखण्डअधिकारी,बीकानेर / खाजूवाला / लूणकरणसर / पूगल / छत्तरगढ़ / कोलायत / अनूपगढ़ / भादरा / चुरू / श्रीगंगानगर / श्रीविजयनगर / घड़साना / सूरतगढ़ / हनुमानगढ़ / नोहर / पीलीबंगा / रावतसर / सरदारशहर / तारानगर / फलौदी / जैसलमेर / पोकरण।
15. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर / श्रीगंगानगर।
16. उप निदेशक, कृषि एवं भू–सर्वेक्षण, बीकानेर।
17. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
18. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / चूरू / जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
19. नोडल अधिकारी, सीएडी वेबसाईट, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त चक्रीय कार्यक्रम को सीएडी की वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ–साथ उक्त अधिकारियों को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।
20. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

संभागीय आयुक्त एवं
पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास,
इंगानप, बीकानेर।

फसल रबी 2017–18 के दौरान दिनांक 27.02.2018 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 24.3.2018 सायं 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज–प्रथम व द्वितीय की नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु समूहों की वरियताएं एवं चक्रीय कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:–

समय : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर				
क्र.सं.	अवधि (इगामुन की आरडी 620)	ग्रुपों का वरियता समूह		
1	27.02.18 मंगलवार प्रातः 6.00 बजे से 07.3.18 बुधवार सांय 6.00 बजे तक	क	ख	ग
2	07.3.18 बुधवार सांय 6.00 बजे से 16.3.18 शुक्रवार प्रातः 6.00 बजे तक	ख	ग	क
3	16.3.18 शुक्रवार प्रातः 6.00 बजे से 24.3.18 शनिवार सांय 6.00 बजे तक	ग	क	ख

नोट :–

1.	छोटी नहरों का रोटेशन साढे सात दिन में पूरा हो जाने के कारण उन्हें साढे सात दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया जायेगा। शेष 1 दिन मुख्य नहर व शाखाओ के क्रॉस रेगूलेटर पर वांछित जल स्तर बनाये रखने हेतु होगा।
2.	उपरोक्त दर्शाया गया समय इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 का है। अन्य हैडों पर पानी पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जायेगा।
3.	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय यदि प्रथम समूह की वरीयता की नहरों को आवश्यकता से अधिक जल प्राप्त होता है तो द्वितीय एवं तृतीय वरीयता समूह की नहरों में पानी छोड़ा जावेगा। इस हेतु मांग पत्र (इन्डेंट) को संशोधित करवाने की आवश्यकता होने पर अधिशाषी अभियन्ता, रेगुलेशन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ अपने स्तर पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, से सम्पर्क कर उनके द्वारा प्रेषित मांग पत्र को संशोधित करवाकर ही पानी छोड़े। मांग पत्र में संशोधन दूरभाष पर वार्त्ता कर, किया जा सकेगा ।
4	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय सिंचाई हेतु प्रथम वरीयता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पोंडस को डिप्लीट करके पूरा किया जावेगा। प्रथम वरीयता में आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध होने पर पानी की कमी का बंटवारा प्रथम एवं द्वितीय चरण की नहरों में आनुपातिक रूप से किया जावेगा।
5	नहरों को 3 में से 1 समूह चलाते समय यदि प्रथम वरीयता समूह की नहरों को चलाने के पश्चात् पानी की बचत होने पर गत अन्तिम रोटेशन में प्रभावित नहरों की वरीयता द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाली नहरों से ऊपर होंगीं जिसका अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
6	"0" आर.डी. मसीतांवाली हैड पर पानी कम उपलब्ध होने की स्थिति में आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इगानप, बीकानेर के आदेश क्रमांक 2394 दिनांक 20.10.07 की पालना की जाकर इन्दिरा गांधी नहर परियेाजना स्टेज प्रथम एवं द्वितीय में पानी की कमी का आनुपातिक रूप वितरण से किया जावेगा।